(10)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–31/2015 99 पटना, दिनांकः 09.03.18

कार्यालय आदेश

श्री ज्वाला राम तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, शिवसागर प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामपुर प्रखड, कैमूर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 21(मु०)/आ० दिनांक 22.04.2015 द्वारा गठित आरोप के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 129 सहपठित ज्ञापांक 748 दिनांक 16.06 2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही मे अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), रोहतास को संचालन पदाधिकारी एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

2. इस विभागीय कार्यवाही मे संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री ज्वाला राम के स्पटीकरण के समीक्षोपरांत निम्न मतव्य के साथ संचालन प्रतिवेदन दिया गया है :–

(i) आरोपी द्वारा 384.40 क्वीटल **गेहूँ** जिसका मूल्य प्रति क्वीटल 1426.04 रूपया की दर से कुल मो० 5,48,169.77 (पॉच लाख अडतालीस हजार एक सौ उन्हत्तर रूपया एवं सतहत्तर पैसे) रूपया होता है, का निजी लाभ के लिए बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया । आरोपी इसके लिए दोषी हैं। आरोपी पर गठित प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप संख्या –1 सत्य प्रमाणित होता है।

(ii) आरोपी द्वारा 1466.85 क्वींटल **गेहूँ** जिसका मूल्य प्रति क्वीटल 1426.04 रूपया की दर से कुल मो० 20,19,786.77 (बीस लाख उन्नीस हजार सात सौ छियासी रूपया सतहत्तर पैसे) होता है, का निजी लाभ के लिए बिक्री कर दी गयी या गबन कर दिया गया है। आरोपी इसके लिए दोषी हैं। आरोपी पर गठित प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप सख्या 02 सत्य प्रमाणित होता है।

(iii) आरोपी द्वारा निजी लाभ के लिए 3000.1 क्विंटल **धान** जिसका मूल्य 49,82,071.66 (उनचास लाख बेरासी हजार इक्हत्तर रूपया छियासठ पैसे) होता है, का गबन कर दिया गया है। आरोप संख्या 3 प्रमाणित होता है।

इस प्रकार श्री ज्वाला राम, प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, शिवसागर प्रखड, रोहतास सप्रति रामपुर प्रखड, कैमूर पर प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप क्रमाक 1, 2 एव 3 सत्य प्रमाणित होता है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) मे किये गये प्रावधान के आलोक मे सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 2723 दिनाक 05 12. 2017 द्वारा श्री ज्वाला राम से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। श्री ज्वाला राम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 03.01.2018 मे कोई तथ्य नहीं देते हुए समय की मॉग की गयी है।

श्री ज्वाला राम के उक्त अभ्यावेदन से यह स्पष्ट होता है कि उनके पास कोई तथ्य/साक्ष्य नही है, जिसके चलते उनके द्वारा समय की बार–बार मॉग करते हुए इस मामले को लम्बा खीचने का प्रयास किया जा रहा है। अतः उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

02954 स्था०1 (06 मार्च 2018) ज्वालाराम

117

4. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपी के द्वारा 384.40 क्वींटल **गेहूँ** जिसका मूल्य प्रति क्वींटल 1426.04 रूपया की दर से कुल मो० 5,48,169 77 (पॉच लाख अडतालीस हजार एक सौ उन्हत्तर रूपया एवं सतहत्तर पैसे) होता है एवं , 1466.85 क्वींटल **गेहूँ** जिसका मूल्य प्रति क्वींटल 1426.04 रूपया की दर से कुल मो० 20,19,786.77 (बीस लाख उन्नीस हजार सात सौ छियासी रूपया सतहत्तर पैसे) होता है; का निजी लाभ के लिए बिक्री कर दी गयी या गबन कर दिया गया है तथा आरोपी के द्वारा 3000.1 क्विंटल **धान** जिसका मूल्य 49,82,071.66 (उनचास लाख बेरासी हजार इक्हत्तर रूपया छियासठ पैसे) होता है, निजी लाभ के लिए गबन कर दिया गया । इस प्रकार श्री ज्वाला राम तत्कालीन प्रखड साख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, शिवसागर प्रखंड, रोहतास सप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामपुर प्रखंड, कैमूर द्वारा सभी कुल 75,50,028.20 (पचहत्तर लाख पचास हजार अट्ठाइस रूपये बीस पैसे) रूपये सरकारी राजस्व की क्षति/गबन करने का आरोप इनपर प्रमाणित होता है। यह राशि श्री ज्वाला राम, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपो के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री ज्वाला राम पर संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ज्वाला राम, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, शिवसागर प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामपुर प्रखड, कैमूर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली 2005, के नियम 14 में किये गये प्रावधानो के तहत सचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक:–स्था०1/वि०3–31/2015 590 पटना, दिनाक :– 09.03.18

प्रतिलिपि:– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को उनके पत्रांक 21 (मु०)/आ० दिनांक 22 04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री ज्वाला राम से क्षति/गबन की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला साख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर
5. प्रखड विकास पदाधिकारी, शिवसागर प्रखंड रोहतास/रामपुर प्रखंड, कैमूर।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री ज्वाला राम, प्रखड संख्यिकी पर्यवेक्षक, रामपुर प्रखड, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/18

निदेशक

02954 स्था0 1 (06 मार्च 2018) ज्वालाराम